

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबंधक(सिग. एवं दूर.सं.)
गोरखपुर

दिनांक 27.05.2025

सं. एन/242/0(Tele)Misc.(System Imp. & Policy)

मुसिदूइ/निर्माण/पूउरे/गोरखपुर

मुसिदूइ/प्रोजेक्ट/पूउरे/गोरखपुर

वमसिदूइ/पूउरे

इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी

विषय :-Quad केबल laying के दौरान विभिन्न पैरामीटर का रिकॉर्ड न बनाए जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ:-महाप्रबंधक/सतर्कता/पूउरे/गोरखपुर का पत्र सं Z/V9/2024/10/00085/PC दिनांक 06.05.25

संदर्भित पत्र द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि Quad केबल की लेइंग के दौरान भारतीय रेल दूरसंचार नियमावली 2021 के Chapter VII, पैरा 7.2.8.1.1 में निर्देशित विभिन्न पैरामीटर का रिकॉर्ड नहीं बनाया जा रहा है जिससे नए laid किये गये केबलों की विफलताओं का पता नहीं चल पाता है और इन पर कार्यरत उपकरणों के विफल होने की संभावना रहती है। कृपया केबल लेइंग कार्य के दौरान भारतीय रेल दूरसंचार नियमावली 2021 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाए । भारतीय रेल दूरसंचार नियमावली 2021 के Chapter VII, पैरा 7.2.8.1.1 में निर्देशित मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

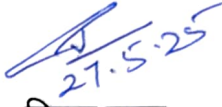
- (a) During cable laying work Cables section shall be tested after each joint is made to facilitate tracing of a fault during the course of jointing.
- (b) On discovery of a fault during the cable laying, the last joint must be opened out and defect rectified.
- (c) The wires in the cable must be tested just before laying and after laying and jointing and also regularly on the laid cable for the following:

Item	Testing method mentioned in para of Telecom Manual
(i) Continuity	7.2.8.1.3
(ii) Absence of crossed pair/quad	7.2.8.1.3
(iii) Absence of conductor cores contacts	7.2.8.1.3
(iv) Insulation resistance	7.2.8.1.4
(v) Absence of contacts between wires forming a pair (short circuit)	7.2.8.1.3

(vi) Transmission loss & cross-talk	7.2.8.1.3
(vii) Continuity of armour and screen of the cable need to be checked before laying	7.2.8.1.3

(d) Quad pairs used for signalling purposes are required to be tested carefully and taking assistance of signalling staff who will arrange for disconnection of signalling gears.

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय रेल दूरसंचार नियमावली 2021 तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर जारी अद्यतन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय ।


 21.5.25
 (विराट गुप्ता)
 मुख्य संचार इंजीनियर

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक/सतर्कता/पूउरे/गोरखपुर को संदर्भित पत्र के आलोक में सादर सूचनार्थ ।

मुख्य संचार इंजीनियर

